

विचार बिन्दु

काम, क्रोध, मद, लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। –तुलसीदास

जराजीर्णता प्रतिषेध एवं प्रबंध

कल्पना कीजिए एक 75 वर्षीय दादी, जो कुछ साल पहले तक सक्रिय थीं, अपने पोते-पोतियों के साथ खेलती थीं, और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेती थीं, अब सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई महसूस कर रही हैं, अक्सर संतुलन खो देती हैं, और पहले से कहीं अधिक थकान महसूस करती हैं। यह कहानी अनेकों नहीं है। दुनिया भर में, जराजीर्णता—एक जटिल नैदानिक स्थिति, जिसमें शक्ति, सहनशक्ति और शारीरिक कार्यों में कमी होती है—वृद्धों की जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। 2019 के एक वैश्विक विश्लेषण के अनुसार, जराजीर्णता का प्रभाव 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 10 प्रतिशत लोगों पर होता है, और उम्र के साथ इसकी व्यापकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। तेजी से वृद्ध होती जनसंख्या के कारण भारत में जराजीर्णता और आयु से संबंधित स्वास्थ्य गिरावट सामान्य बातें हो रही हैं। जहाँ 112 मिलियन से अधिक बुजुर्ग लोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

वृद्धों में किसी की मदद के बिना चलने-फिरने, पहनने—ओढ़ने और मलत्याग में सक्षम रहना है तो यह आलेख आपके लिए है।

जराजीर्णता, या फ्रैल्टीका आधुनिक विज्ञान आयुर्वेद दोनों में व्यापक रूप से विमर्श किया गया है। समकालीन शोध ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, और प्रो-इंफ्लेमेटोरी प्रोसेस के कारण शारीरिक गिरावट पर केंद्रित है। इसके विपरीत आयुर्वेद उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जराजीर्णता की एक समग्र दृष्टि प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार, जराजीर्णता तीन दोषों—वात, पित्त और कफ—के असंतुलन और शरीर के ऊतकों (धातु), पाचकानि और मूल प्रबंधन प्रणालियों के क्षय के कारण उत्पन्न होती है। वस्तुतः समय के परिणाम से वृद्धापी और मृत्यु वह व्यक्ति के जीवन में अंततः आते हैं, और वृद्धाप में होने वाली समस्याएँ स्वाभाविक हैं। इनकी चिकित्सा नहीं होती (कालस्पर्शपरिणामेजरापृथुनितिजाः। रोगाः स्वाभाविकादृष्टाः स्वाभावोनिष्क्रियतिः॥ च.श.1.115।) स्वाभाविक जरावस्था को नहीं रोकना जा सकता, पर अकारण—जरा या असमय वृद्धापे की समस्याओं से निपटने के लिये आयुर्वेद में पर्याप्त, प्रभावी और प्रामाण्य—आधारित उपाय हैं।

आयुर्वेद उम्र बढ़ने (जरावस्था) को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में मान्यता देता है जो शरीर, इंद्रियों, मन और आत्मा को प्रभावित करती है। जीवन के विभिन्न चरणों में वात, पित्त, और कफ की परस्पर क्रियाशीलता के कारण विशिष्ट शारीरिक परिवर्तन होते हैं। वचनपन में कफ दोष का प्रभुत्व होता है, जो वृद्धि और विकास (अनावालिज्म) को बढ़ावा देता है। वयस्कता में पित्त का प्रभुत्व होता है, जो चयापचय और शरीर की कार्यक्षमता को बनाए रखता है। वृद्धावस्था में वात का प्रभुत्व होता है, जो शरीर के गिरावट (कैटाबोलिज्म) की ओर ले जाता है। कफ के क्षय के कारण बल में कमी होना, वात की वृद्धि के कारण शरीर में दर्द और कॉन्जिक्टिव इम्पेयरमेंट और पित्त की विषमता से अर्गि—वैषम्य वृद्धापे के मुख्य लक्षण हैं जो जराजीर्णता लाते हैं।

आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उनका आयुर्वेद से मेल अब बहुत स्पष्टता से देखा जा सकता है। वर्ष 2019 के विश्लेषण में उद्धृत आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं कि जराजीर्णता कई कारकों, जैसे कि आनुवंशिक प्रवृत्ति, जीवनशैली विकल्प और पर्यावरणीय जोखिमों से प्रभावित होती है। जराजीर्णता के मुख्य कारणों में मांसपेशियों के द्रव्यमान और शक्ति का ह्रास (साफर्केनिया), संज्ञानात्मक गिरावट, कुपोषण और गतिशीलता में कमी शामिल है। ये स्थितियाँ ऑक्सिडेटिव तनाव और इन्फ्लेमेशन में वृद्धि से जुड़ी होती हैं, जो आगे कोशिका क्षति और उम्र बढ़ने को तेज करती हैं।

रोचक बात यह है कि जराजीर्णता के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद की सलाह और आधुनिक वैज्ञानिक रणनीतियों के मध्य बड़ी निकटता है। उदाहरण के लिए, आयुर्वेद उम्र से संबंधित शारीरिक गिरावट को रोकने के लिए संतुलित अग्नि (पाचनशक्ति) और वात दोष के प्रबंधन पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण ऑक्सिडेटिव तनाव और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आधुनिक हस्तक्षेपों के साथ सुसंगत है ताकि उम्र—आधारित रोगजनक की गति को धीमा किया जा सके।

जराजीर्णता की रोकथाम की रणनीतियाँ: जराजीर्णता की रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें जीवनशैली में परिवर्तन, आहार संबंधी हस्तक्षेप और उपचारात्मक अभ्यास शामिल होते हैं। यहाँ आज तक अद्यतन, प्रमाण-आधारित और सर्वाधिक प्रभावी रणनीतियाँ दी गई हैं: बहुयुक्तव्यायाम वनानुभव समाजोन्मुखता विवाहकर्तव्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा शुद्धान्तः वारणां चाम्राडाशाध्यात्मज्ञानां च्छायां हृतायुः साहाय्यं चाम्राध्यां फलशाकविधानमद्यव्यागोदरस्थालमुक्तताविद्विर्तन्यसेवनीयोरामलक्याद्यैः रसायनैश्चरजराजीर्णतायाः प्रतिषेधकरोति, तत्रसर्वेषुव्यायामसारयाम्यैः सर्वरसाभ्यासस्य च श्रेष्ठतमत्वम्। (यजुर्वेदितनत्र)। इस सूत्र को विस्तार से समझने के पूर्व इनका अर्थ समझना आवश्यक है। विविध प्रकार के व्यायाम, वनानुभव, समाज से मेल-मिलाप, वैवाहिक और पारिवारिक स्थिति, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, शुद्ध अंतःकरण, उत्तम प्रज्ञा, अध्यात्मज्ञान, सुखायु (सुखी जीवन) और हितायु (हितकारी जीवन) के साथ—साथ अग्नि का साम्य (पाचनानि का संतुलन), फल और सब्जियों का विविध आहार मद्य का त्याग, उदरस्थौल्य (तोंद के रूप में पेट की चर्बी) का अभाव, आंवला, द्राक्षा, अनार आदि जैसे नित्य सेवन योग्य रसायन – ये सब मिलकर जराजीर्णता का प्रतिषेध करती हैं। इन्होंने से, व्यायाम, रसायन सेवन, और सभी रसों से युक्त नियमित आहार की विविधता बचाव के सर्वोत्तम कारक हैं।

ध्यान दीजिये, यजुर्वेदितनत्र कोई संकलन नहीं बल्कि आयुर्वेद की एक मौलिक संहिता है जो ज्ञान की त्रिवेणी—शास्त्र, साहस, अनुभव—पर आधारित है व युगानुरूप लिपिबद्ध की जा रही है। उपरोक्त सूत्र जराजीर्णता प्रबंधन एवं

आयुर्वेद के अनुसार, पोषक तत्वों के अवशोषण और आत्मसात करने के लिए संतुलित पाचक अग्नि आवश्यक है। वृद्धावस्था में, पाचन दक्षता अक्सर कम हो जाती है, जिससे कुपोषण और जराजीर्णता होती है। इसका प्रबंधन करने के लिए, आयुर्वेद पाचक जड़ी-बूटियों के उपयोग, सावधानीपूर्वक खाने के अभ्यास और उचित पाचन और चयापचय कार्य सुनिश्चित करने के लिए नियमित मलत्याग की सिफारिश करता है।

प्रतिषेध पर उपलब्ध ज्ञान को एकीकृत कर लिखा गया है। प्राचीन संहिताओं और समकालीन वैज्ञानिक शोध पर प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ 422 मेटा-एनालिसिस, और अनुभवजन्य ज्ञान समाहित हैं। इस सूत्र में प्रदत्त उपयोग-योग्य जानकारी आगे प्रस्तुत है।

1. बहु-घटक व्यायाम: जराजीर्णता की रोकथाम और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आयुर्वेद के अनुसार, बल के अंश तक नियमित व्यायाम दोनों को संतुलित करता है, विशेष रूप से वात, जो गतिशीलता से जुड़ा होता है। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है, सहनशक्ति को बढ़ाता है, और जोड़ों का लचीलापन बनाए रखता है। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि बहु-घटक व्यायाम (एरोबिक, विरोधी, प्रतिरोध, और लचीलापन प्रशिक्षण का संयोजन) मांसपेशियों के द्रव्यमान, हड्डियों का घनत्व और समग्र शारीरिक

कार्य को सुधारकर जराजीर्णता के जोखिम को काफी कम कर सकता है।

2. आहार विविधता और पौष्टिक भोजन: दोनों को संतुलित करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद सभी छह रसों (षड रस) से समृद्ध आहार पर जोर देता है। आधुनिक पोषण विज्ञान भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है, जो फल, सब्जियों, साबुत अनाज, फलियाँ, मेवे और बीजों जैसे खाद्य पदार्थों से समृद्ध विविध आहार का परामर्श देता है। ये खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, जो जराजीर्णता की रोकथाम, ऑक्सिडेटिव तनाव और दर्द व सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

3. रसायन: आयुर्वेद के रसायन उम्र बढ़ने को रोकने और दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित की गई हैं। इन्होंने आंवला, द्राक्षा, अनार, अश्वगंध और ब्राह्मी जैसी जड़ी-बूटियों का उपयोग शामिल है, जो एंटीऑक्सिडेंट गुणों और संज्ञानात्मक और शारीरिक कार्यों को बढ़ाने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। आधुनिक शोध इन लाभों की पुष्टि करता है, जिससे पता चलता है कि इस तरह की जड़ी-बूटियाँ ऑक्सिडेटिव क्षति को कम करके और कोशिका कार्य में सुधार करके उम्र बढ़ने के प्रभावों में कमी ला सकती हैं।

4. सामाजिक सहभागिता और मानसिक कल्याण: जराजीर्णता केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं है; इसका एक महत्वपूर्ण मानसिक घटक भी होता है। आयुर्वेद मानसिक स्वास्थ्य (सत्व) पर जोर देता है और ध्यान, आध्यात्मिक गतिविधियाँ (आध्यात्मिक आहार) और सामाजिक सहभागिता जैसी बातों पर सुझाव देता है ताकि मन को संतुलित रखा जा सके। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि सामाजिक सहभागिता और संज्ञानात्मक गतिविधियाँ, संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं, जिससे जराजीर्णता का जोखिम कम हो जाता है।

5. पाचनशक्ति का प्रबंधन और दोष संतुलन: आयुर्वेद के अनुसार, पोषक तत्वों के अवशोषण और आत्मसात करने के लिए संतुलित पाचक अग्नि आवश्यक है। वृद्धावस्था में, पाचन दक्षता अक्सर कम हो जाती है, जिससे कुपोषण और जराजीर्णता होती है। इसका प्रबंधन करने के लिए, आयुर्वेद पाचक जड़ी-बूटियों के उपयोग, सावधानीपूर्वक खाने के अभ्यास और उचित पाचन और चयापचय कार्य सुनिश्चित करने के लिए नियमित मलत्याग की सिफारिश करता है। वैज्ञानिक अध्ययन भी जराजीर्णता की रोकथाम के लिए आंत के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के अवशोषण को बनाए रखने पर जोर देते हैं।

6. शारीरिक-भार और उदर-स्वास्थ्य का रखरखाव: जराजीर्णता की रोकथाम में इष्टतम शरीर भार बनाए रखना और उदर मोटापा (सेंट्रल ओबेसिटी) से बचना आवश्यक है। आयुर्वेद का सुझाव है कि खाने की आदतों के प्रति सचेत रहना और भारी, तैलीय या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की अत्यधिक खपत से बचना पेट के मोटापे और उससे जुड़े जोखिमों को रोक सकता है। आधुनिक शोध से पता चलता है कि उदर-मोटापा कई क्लिनिकल समस्याओं, जैसे कि मेटाबोलिक सिंड्रोम, मधुमेह और हृदय रोगों से जुड़ा हुआ है। ये सभी रोगजराजीर्णता में योगदान करते हैं।

7. अत्यधिक निष्क्रिय व्यवहार से बचना: आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात से सहमत हैं कि अत्यधिक निष्क्रिय व्यवहार (सदासन या सीटेंटीबीडेवियर) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेष्टाशील व्यक्ति बहुत जल्दी जराजीर्णता में फंस जाते हैं। स्वास्थ्य और जीवन-शक्ति को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद शारीरिक निष्क्रियता से बचने और नियमित शारीरिक व्यायाम को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने परामर्श देता है। वैज्ञानिक अध्ययन भी पुष्टि करते हैं कि नियमित व्यायाम, यहां तक कि छोटे अंतराल में भी, मांसपेशियों की शोष को रोक सकता है, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है, और जराजीर्णता के जोखिम को कम कर सकता है।

8. नित्य-सेवनीय रसायनों का दैनिक उपयोग: आयुर्वेद आंवला (आमलकी), अनार (दाडिम), द्राक्षा (मुनक्का), गाय का दूध और घोड़े जैसे नित्य सेवनीय रसायनों के दैनिक उपयोग की सलाह देता है। इससे स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है और उम्र—आधारित रोगजनक की गति बहुत कम हो जाती है। आधुनिक पोषण विज्ञान यह मानता है कि ये पदार्थ, एंटीऑक्सिडेंट और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं, जो ऑक्सिडेटिव तनाव से लड़ सकते हैं, व्याधिक्षमत्व (प्रतिरक्षा) को बढ़ा सकते हैं, और रोगरोहित दीर्घायु (हेल्थ—स्पान) दे सकते हैं, जिससे जराजीर्णता की रोकथाम हो सकती है। यदि स्वस्थ व्यक्ति के भोजन में प्रतिदिन अनार, आमलकी और द्राक्षा हो तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य रहे आने की प्रबल संभावना है।

आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान मिलकर जराजीर्णता के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति प्रदान करते हैं। जीवनशैली में संशोधन, आहार हस्तक्षेप, व्यायाम, सामाजिक सहभागिता और रसायन चिकित्सा को एकीकृत करके, हम स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा दे सकते हैं और जराजीर्णता के जोखिम को कम कर सकते हैं, जिससे उच्च आयु में भी एक अधिक जीवंत, स्वतंत्र और संतोषजनक जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं।

—अतिथि सप्ताहक, डॉ. दीप नारायण पाण्डेय, (इंडियन फारेस्ट सर्विस से सेवानिवृत्त, वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में विजिटिंग प्रोफेसर, (यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सर्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं।)

पंचायतों और नगरपालिकाओं का समयबद्ध निर्वाचन – राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व



आर. के. पारीक

वर्ष 1994 से पूर्व देश में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव राज्य सरकारों द्वारा कराये जाते थे, जिसके लिये विभिन्न कानून तो थे, लेकिन ऐसे बाध्यकारी कानून नहीं थे कि निर्धारित कार्यकाल में चुनाव हो ही जाये। राज्य सरकार कभी इन संस्थाओं का चुनाव सुविधा अनुसर कर लेती, कभी कार्यकाल समाप्त से पूर्व इन्हें भंग कर देती, कभी अनिश्चित काल तक चुनाव नहीं होते, और कभी लम्बे समय तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता। कुल मिलाकर इन संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्त व्यस्त थी और सरकारी अधिकारी ही प्रायः इनके मुखिया बने रहते थे। भारत के संविधान के 73वें संशोधन से पार 9 और 74 वें संशोधन से पार 9-क जोड़कर क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के लिये व्यापक प्रावधान किये गये, जो वर्ष 1993 से प्रभावी हुये। इनके द्वारा इन संस्थाओं के समयबद्ध और नियमित चुनाव कराने तथा एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के लिये व्यवस्था की गयी।

संविधान के अनुच्छेद 243-ई में पंचायतीराज संस्थाओं और अनुच्छेद 243-यू में नगरपालिकाओं के लिये प्रावधित किया गया है कि संस्था का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा, जिसे बढ़ाया नहीं जायेगा, यदि किसी संस्था को कार्यकाल समाप्त पूर्व भंग करना संस्थाओं के समयबद्ध और नियमित चुनाव कराने तथा एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के लिये व्यवस्था की गयी।

संविधान के अनुच्छेद 243-ई में पंचायतीराज संस्थाओं और अनुच्छेद 243-यू में नगरपालिकाओं के लिये प्रावधित किया गया है कि संस्था का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा, जिसे बढ़ाया नहीं जायेगा, यदि किसी संस्था को कार्यकाल समाप्त पूर्व भंग करना संस्थाओं के समयबद्ध और नियमित चुनाव कराने तथा एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के लिये व्यवस्था की गयी।

अनुच्छेद 243-ए के अनुसार इन संस्थाओं के निर्वाचनों का संचालन और इनके लिये निर्वाचक नामावतियों की तैयारी का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण में होगा। अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग को लोकसभा-विधानसभा के निर्वाचनों का संचालन तथा इनके लिये निर्वाचक नामावतियों की तैयारी करने के लिये नियंत्रण, निर्देशन एवं अधीक्षण की शक्तियाँ व अधिकार दिये गये हैं, वैसे ही अधिकार व शक्तियाँ राज्य निर्वाचन आयोग की भी अनुच्छेद

243-के और अनुच्छेद 243 जैड-ए में दी गई हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद में महाभियोग से ही हटाया जा सकता है, वैसे ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी संसद में महाभियोग से हटाया जा सकता है ऐसे प्रावधानों का प्रयोजन यही है कि स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव भी नियमित रूप से स्वतंत्र आयोग, जो सरकार के अधीन नहीं हो, द्वारा कराये जाते रहे।

इसी विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पाँच जजों की संविधान पीठ ने सविल (अपील) संख्या 5756/2005 किशनसिंह तोमर बनाम नगर निगम अहमदाबाद में एक महत्वपूर्ण लैण्डमार्क निर्णय पारित किया जिसमें सभी राज्य सरकारों और राज्य निर्वाचन आयोगों के लिये निर्देश भी दिये गये। इन निर्देशों में मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

1. संस्थाओं का चुनाव पाँच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही होना बाध्यकारी है और इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता।

2. राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग का समान स्टेटस है और समान प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं,

3. परिसीमन कार्य के लंबित रहने या मतदाता सूचियों नहीं बनने या अन्य प्रशासनिक कठिनायियों को चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता,

4. यदि संस्था का कार्यकाल समाप्ति की ओर हो लेकिन वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ या मतदाता सूचियाँ अद्यतन नहीं हैं, तो वर्तमान में जो भी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र और मतदाता सूचियाँ हैं, तो उन्हीं के आधार पर चुनाव करा लिये, लेकिन चुनाव निर्धारित समयवर्षों में ही हो,

5. समयबद्ध चुनाव सम्पन्न कराने में राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता करेगी,

6. यदि राज्य सरकार अपेक्षित सहयोग नहीं करे तो राज्य निर्वाचन आयोग का कर्तव्य होगा कि वह सर्वप्रथम उच्च न्यायालय में प्रेषण करे और वहाँ भी यदि सफलता प्राप्त ना हो तो राज्य सरकार को निर्देशित कराने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेण्डामस रिट या अन्य समुचित रिट के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत करे।

उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायिक निर्देशों की क्रियान्विती राजस्थान में किस प्रकार हुई और अब कैसे हो रही है, यह गौर करने लायक है। राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई, 1994 में हुयी थी तब राज्य में सभी पंचायतीराज संस्थाओं और जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे बड़े-बड़े नगर निगमों, नगर परिषदों सहित 44 नगरपालिकाओं के चुनाव कई वर्षों से बकाया थे। संविधान संशोधन के फलस्वरूप इन संस्थाओं के चुनाव के

लिये बने पूर्व के कानून बदले गये, नया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 बना और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 में भी व्यापक संशोधन किये गये। साथ ही चुनाव प्रक्रिया भी नये सिरे से निर्धारित करने के नियम बनाये गये। आयोग को अपना कार्य नये सिरे से शून्य से प्रारम्भ करना था।

तत्कालीन राज्य सरकार के मुखिया की मंशा थी कि यह राज्य देश के उन अटणी राज्यों में हो जहाँ संविधान संशोधन की क्रियान्विती में सभी चुनाव शीघ्र सम्पन्न हो, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग भी भारत निर्वाचन आयोग की भाँति एक सशक्त व स्वतंत्र आयोग बने। गठन के बाद आगस्त, 1994 में आयोग में जिला निर्वाचन अधिकारियों की प्रथम बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं आकर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपना उद्घोषण में सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया।

ऐसी बैठक में ऐसी उपस्थिति एकमात्र उदाहरण है लेकिन जैसा उन्होंने बैठक में आश्वासन दिया वह पूर्ण भी हुआ। सरकार के सहयोग और आयोग के कठिन परिश्रम का ही परिणाम था कि नये सिरे से परिसीमन का कार्य भी हुआ और साथ ही साथ नयी मतदाता सूची तैयारी, चुनाव प्रक्रिया हेतु नये निर्देश, नयी स्टेशनरी, नये प्रपत्रों की तैयारी व मुद्रण, चुनाव सामग्री की आपूर्ति आदि समस्त कार्य कई कठिनाइयों के बावजूद पूर्ण हुये और नगरपालिकाओं के सभी बकाया चुनाव नवम्बर, 1994 में तथा पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव जनवरी-फरवरी, 1995 में सम्पन्न हो गये। आयोग द्वारा कराया गया यह चुनाव पहला चुनाव था, जिसमें सरकार का पूर्ण सहयोग था, लेकिन इसके बाद स्थिति में बदलाव आया।

राजस्थान ऐसे बिरले और सौभाग्यशाली राज्यों से एक है, जहाँ आयोग की स्थापना से लेकर लगातार पाँच कार्यकालों में (पच्चीस वर्ष) तक यानि वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 2019-20 तक पंचायतीराज संस्थाओं और नगरपालिकाओं में निर्वाचित बोर्ड कार्यरत रहे, हालाँकि प्राकृतिक आपदाओं या कानून-व्यवस्था विगडने के कुछेक मामलों में अपवाद अवश्य रहा। इस अवधि में भी यदाकदा राज्य सरकार द्वारा चुनाव स्थगित कराने के प्रयत्न हुये लेकिन आयोग की सजगता और प्रतिरोध से समय पर चुनाव करा लिये गये।

नवम्बर, 1999 में जब नगरपालिकाओं के चुनाव होने थे राज्य सरकार ने परिसीमन/आरक्षण का आधार लेकर चुनाव स्थगित करने का आयोग से अनुरोध किया जिसे आयोग ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद एक निजी याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा चुनाव को स्थगित करने का आदेश पारित कर दिया

गया तो आयोग ने तुरन्त ही माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैच में अपील प्रस्तुत की, तोराज्य सरकार ने भी आयोग का विरोध करते हुये चुनाव स्थगित कराने की माँग की, लेकिन न्यायिक निर्णय आयोग के पक्ष में ही रहा और अवशेष रहे आरक्षण वार्डों का उसी समय निर्धारण करते हुये चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न हो गये।

वर्ष 2000 में राज्य कर्मचारियों की व्यापक हड़ताल होने के बावजूद पंचायत चुनाव सरकार की मदद से सफलतापूर्वक सम्पन्न हुये। वर्ष 2004 में जब पंचायत चुनाव होने थे, तब फिर परिसीमन कार्य में विलंब होने लगा और आयोग के निरंतर आग्रह पर भी कार्य में प्रगति नहीं हो रही थी। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ में प्रस्तुत निजी याचिका पर सख्त न्यायिक निर्देश के बाद परिसीमन का कार्य तुरन्त पूर्ण हुआ और चुनाव भी निर्धारित कार्यकाल में ही सम्पन्न हुये।

कार्यकाल समाप्ति पर अगस्त, 2010 में 127 नगरपालिकाओं के चुनाव होने थे लेकिन महिला आरक्षण के कोटा संबंधी बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च अदालत में प्रस्तुत एस.एल.पी. की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने चुनाव स्थगित कराने का भी अनुरोध कर दिया जिसे मान लिया गया और चुनावों पर स्थगन आदेश पारित हो गया। आयोग को जैसे ही इसकी जानकारी हुयी तो सरकार के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अतिविलंब प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ना केवल स्थगन आदेश को वापिस लिया, बल्कि सरकार को भी निर्देश दिये कि वह आयोग का सहयोग करे।

आयोग की स्थापना से लेकर वर्ष 2019-20 तक लगातार पाँच कार्यकालों में स्थानीय निकायों के निर्वाचित बोर्ड रहे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ? स्थिति सर्वज्ञात है। कभी संस्थाओं के पुनर्गठन या नये परिसीमन या कोविड को आधार बनाकर पंचायतीराज संस्थाओं और कई नगरपालिकाओं के चुनाव टाले जाते रहे। वर्तमान परिदृश्य में अधिकांश संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हुये एक अरसा हो गया लेकिन इनका चुनाव कब हो पायेगा, निश्चित नहीं हो पा रहा।

चुनाव कराने में मुख्य बाधा बतायी जा रही है, पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण का कार्य शेष रहना और परिसीमन में विलंब होना। संविधान के अनुसार इन संस्थाओं में अनुसुचित जातियो/जनजातियों तथा महिलाओं का आरक्षण बाध्यकारी है। लेकिन पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अनुमत (झिसेग्रेट) है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पृथक आयोग के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट से निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही पिछड़े वर्गों के लिये इन संस्थाओं में आरक्षण को मान्यता दी है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकास

किशन गवली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रकरण में पारित निर्णय (वर्ष 2021) के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि ट्रिपल टेस्ट फार्मुले के बिना इन संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण नहीं हो पायेगा तब भी इसके लिये यथोचित प्रयास नहीं हुये और पृथक आयोग की स्थापना कई वर्षों तक नहीं हुई। इस दौरान अलग-अलग सरकारें रही, लेकिन दोनों ही सरकारों में यथासमय कार्य नहीं हुआ। पंचायतों व नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब ट्रिपल टेस्ट के लिये आयोग कार्य कर रहा है, कब इसकी रिपोर्ट आयेगी,कब आरक्षण हो पायेगा, अनिश्चित सा है। अनुसुचित जाति/जन जातियों व महिलाओं के लिए आरक्षण का कार्य जब भी सरकार बने वह तुरन्त हो सकता है, क्योंकि वार्ड परिसीमन के बाद इसके आंकड़े उपलब्ध रहते हैं।

इन संस्थाओं के परिसीमन का कार्य कौन प्राधिकारी करे, इसके लिये संविधान में नहीं बताया गया है। राज्य विधान मण्डल ही इसका कानून बनाने में सक्षम है। राजस्थान में परिसीमन व आरक्षण का कार्य राज्य सरकार के अधीन है, फिर भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा रहा है तो किस स्तर तक और चुनावों पर स्थगन आदेश पारित हो गया। आयोग को जैसे ही इसकी जानकारी हुयी तो सरकार के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अतिविलंब प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ना केवल स्थगन आदेश को वापिस लिया, बल्कि सरकार को भी निर्देश दिये कि वह आयोग का सहयोग करे।

समय पर चुनाव कराने का दायित्व आयोग का है जिसके लिये संविधान ने इसे स्वतंत्र स्टेटस प्रदान किया है और आयोग बना ही इसी प्रयोजन से है। यदि संस्थाओं के चुनाव कराने की दिशा में परिसीमन या आरक्षण का कार्य सरकार के स्तर पर लंबित चल रहा था तो आयोग को इसके लिए राज्य सरकार से निरन्तर आग्रह करते हुये प्रयास करने चाहिये थे और जैसा पूर्व होता भी रहा। राज्य सरकार इन संस्थाओं के चुनाव निर्धारित समय पर सम्पन्न कराने में सहयोग नहीं देती, तो आयोग का कर्तव्य होना चाहिये था, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किशनसिंह तोमर प्रकरण में निर्देश प्रदान किये थे, कि वह सर्वप्रथम तो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर एप्रीच करता और यहाँ भी सफलता नहीं मिलती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेण्डामस या अन्य उपयुक्त याचिका के माध्यम से राज्य सरकार को निर्देश जारी कराने हेतु प्रयास करना चाहिये था।

आवश्यकता होने पर पूर्व उदाहरणों को देखते हुये सरकार से स्वतंत्र और इंडर होकर न्यायपालिका की यथासमय स्थापना लेनी चाहिये थी। अब तो बहुत अधिक संकेत हो चुका है, यदि समय रहते माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के वर्ष 2006 में दिये गये निर्देशों पर गौर कर कार्यवाही की गई होती तो चुनाव समयबद्ध सम्पन्न हो सकते थे।

—आर. के. पारीक, पूर्व आर. ए. ए. अधिकारी

नशे के खिलाफ जयपुर पुलिस का बिगुल : “नो टू ड्रग्स-वेक अप जयपुर” अभियान शुरू



राजेश यादव

जयपुर पुलिस द्वारा युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने एवं समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष

अभियान बिगुल: 'नो टू ड्रग्स-वेक अप जयपुर' संचालित किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी, विक्रय एवं सेवन को रोकथाम हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न कानून बनाए गए हैं, किन्तु युवाओं को 'नो से पूर्णतः दूर रखने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ एवं सशक्त युवा पीढ़ी का निर्माण कर परिवार, समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में योगदान देना हम सभी का दायित्व है।

उन्होंने कहा कि पुलिस, शिक्षक वर्ग, स्वयंसेवी संगठन, विद्यालय प्रबंधन एवं समाज के संप्रदाय नागरिकों के संयुक्त प्रयास से शैक्षणिक संस्थाओं में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। अभियान के तहत आयुक्तालय जयपुर के सभी जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जागरूकता, आकर्षकों का संकलन एवं आवश्यकतानुसार कानून सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत स्कूल एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करने, रैली, नुकुड-नाटक एवं शपथ कार्यक्रम आयोजित करने, निबंध, पोस्टर, चित्रकला व फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं के माध्यम से जन-

जागरूकता बढ़ाने, विद्यार्थियों की काउंसिलिंग कर नशा उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने, अभिभावकों-शिक्षकों की सहभागिता बढ़ाने, विधिक साक्षरता कार्यक्रमों के आयोजन, नशाप्रीति एवं पुनर्वास केन्द्रों के भ्रमण तथा पुलिस, एनजीओ एवं विशेषज्ञों के समन्वय से युवाओं को नशे से दूर रखने हेतु व्यापक प्रयास किए जाएंगे। इस अभियान के माध्यम से जयपुर पुलिस, शिक्षा विभाग एवं समाज के सभी वर्गों के सहयोग से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाकर एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं अपराध मुक्त समाज की

परिकल्पना को साकार करने का प्रयास कर रही है। जयपुर पुलिस द्वारा संचालित यह अभियान 05 माह में शैक्षणिक संस्थान प्रारम्भ होने के साथ ही शुरू किया जाएगा। पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने बताया कि प्रथम चरण में 10 मई से 25 मई तक विशेष कार्यक्रमों की जायगी तथा इसकी रिपोर्ट 26 मई तक पुलिस आयुक्त कार्यालय में भिजवाई जाएगी। इसके बाद यह अभियान प्रत्येक माह 1 से 15 तारीख तक संचालित कर रिपोर्ट 16 तारीख तक कंट्रोल रूम के माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।

—राजेश यादव, सहायक निदेशक, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

राशिफल रविवार 12 अप्रैल, 2026

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, रविवार, विक्रम संवत् 2083, श्रवण नक्षत्र दिन 3:14 तक, साध्य योग सायं 6:16 तक, वणिज करण दिन 12:57 तक, चन्द्रमा आज रात्रि